न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 18 / 2022

1. छोटी देवी पत्नि रामधन जाति बलाई निवासीनी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर

–अपीलाण्ट–

बनाम

1. केशरमल पुत्र रामधन
2. नाथूराम पुत्र रामधन
3. प्रेमचन्द पुत्र रामधन
4. मूलचन्द पुत्र रामधन
5. शारदा पुत्री रामधन
6. संतोष पुत्री रामधन
7. सुभाष पुत्र परमेश्वरी पुत्री रामधन
8. उर्मिला पुत्री परमेश्वरी पुत्री रामधन
9. परमिला पुत्री परमेश्वरी पुत्रीर रामधन समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम सिहांसन तहसील व जिला सीकर

– रेस्पोडेण्टस –

अपील विरुद्ध नामा0 संख्या 1431 बाबत ग्राम पंचायत सिंहासन पटवार हल्का सिंहासन भू अभिलेख निरीक्षक पिपराली तहसील व जिला सीकर प्रविष्टि दिनांक 18.8.20.21 निर्णित दिनांक 2097.2021 ग्राम पंचायत सिंहासन तहसील व जिला सीकर

उपस्थित – वकील अपीलाण्ट– श्री सांवरमल चौधरी
वकील रेस्पोडेण्टस – श्री संदिप सिंह सेवदा

निर्णय

दिनांक : 17.11.22

Scanned with Oken Scanner

वकील अपीलाण्ट ने एक अपील विरूद्ध नामा0 संख्या 1431 दिनांक 20.9.2021 ग्राम पंचायत सिंहासन के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी पूर्व में 1/2 हिस्से की अपीलाण्ट व रेस्पोण्डस का पूर्वज रामधन रहा है। रामधन का देहान्त निर्वसियती हो गया। अपीलाण्टस एवं रेस्पोडेण्टस उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान है। विरासत का नामा0 पटवारी हल्का द्वारा सही भरा जाकर भू0 अभिलेख निरीक्षक को भिजवाया गया जिसके इन्द्राज सही होना अंकित किया गया। दिनांक 24.8.2021 को नामा0 वास्ते तस्दीक ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत होने पर बिना किसी अधिकार के योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं0 4 के जरिये नामा0 परन आगामी बैठक में प्रस्तुत करें, का नोट लगा दिया गया । दिनांक 20.9.21 को प्रस्ताव संख्या 5 के जरिये नामा0 अस्वीकृत कर दिया गया । अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने क्षैत्राधिकार से बाबह जाकर अवैध आधारों पर नामा0 खारिज कर दिया क्या क्योकि विरासत के नामा0 में मृतक के वारिसान की जांच होती है कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड का विवेचन नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट को पूर्व में इसकी वा , जानकारी नहीं थी। दिनांक 16.8.2022 को जमाबंदी की नकल प्रापत की तो उस पर निरस्तीकरण का नोट लगा हुआ था। इसके पश्चात प्रस्ताव आदि की नगल प्रापत कर अपील यथाशीघ्र प्रस्तुत की गई है। दफा 5 का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत सिंहासन द्वारा नामा0 सं0 1431 दिनांक 20.9.21 निरस्त फरमाया जावे एवं मृतक रामधन के प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिर्स्टड नोटिस तलब किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्टस जरिये वकील उपस्थित रहे। वकील रेस्पो0 ने अपील स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की।

बहस वकील अपीलाण्टस सुनी गई जो मुताबिक अपील रही। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत सबूतों के अनुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 का पूर्वज रामधन था। रामधन की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उसके वारिसान के नाम से नामा0 भरा गया एवं आई. एल. आर ने अपनी जांच में उक्त नामा0 को सही पाया है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 5 का अवलोकन किया गया । जिसमें यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 563 का रकबा सेटलमेण्ट के दौरान बढा दिया गया व 560 का रकबा कम कर दिया गया । मौके पर विवाद हो सकता है, नामा0 खारिज कर दिया गया । इस प्रकार से स्पष्ट है कि पटवारी

Scanned with Oken Scanner

हल्का द्वा नामा0 रामधन के प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम भरा गया था । परन्तु अधिनिस्थ ग्राम पंचायत ने रकबा कम बेशी होने बाबत नोट लगा कर नामा0 अस्वीकार कर दिया। अधिनिस्थ ग्राम पंचायत को रकबा कमी बेशी होने के कारण विरासत का नामा0 अस्वीकार किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । इसका क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को है। यदि किसी पक्षकार को या खातेदार को इस संबंध में कोई आपत्ति थी या हे तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय को यह क्षैत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत सिंहासन द्वारा विरासत का नामा0 अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है जो कि विधि विरूद्व है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 1431 दिनांक 20.9.2021 ग्राम पंचायत सिंहासन तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार वारिसान की जांच कर विरासत के नामा0 के संबंध में पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक17.11.21को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

17.11.21

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner